

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: 302-30/जे०डी०/फा०स०/मेरठ-16(ईको०३)/246

दिनांक: 3-8-2016

सेवा में,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स प्रोसपर ब्लूडटेक प्रा०लि०, द्वारा प्लॉट न० जी०एच०-०४बी०, सेक्टर-१०, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2016/23071/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5532/डी०डी०

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-०३ ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनकी संस्तुति आख्या दिनांक: 25-07-2016 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई प्रस्तुत आख्याओं एवं अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- प्लॉट एरिया-20,240.00 वर्ग मी० है। जिसमें प्रस्तावित आवासीय भवनों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र०स०	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	ऊँचाई मी०।
1	टावर-ए०	02बेस०, स्टिल्ट/काम एवं 20	1296.433	350.530	65.450
2	टावर-बी०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
3	टावर-सी०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	376.042	292.340	70.600
4	टावर-डी०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
5	टावर-ई०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	439.648	350.530	70.600
6	टावर-एफ	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	439.648	350.530	70.600
7	टावर-जी०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
8	टावर-एच०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	376.042	292.340	70.600
9	टावर-आई०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 22	403.396	316.828	70.600
10	टावर-जे०	02बेस०, भूतल/स्टिल्ट एवं 20	1296.433	350.530	65.450

बेसमेन्ट:-प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें लोअर एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-16,817.356 वर्ग मी० प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:-

प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन०बी०सी-2005 आवासीय श्रेणी ए०-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी० का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मीटर एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-15.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-09.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी० प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के बाह्य एवं आन्तरिक भाग में 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जैसा कि मानचित्रों में दर्शाया गया है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है जिनकी चौड़ाई 1.50 प्रत्येक तथा बेसमेन्ट में 02 अतिरिक्त रैम्प है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

(अतिरिक्त निदेशक)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ

- 4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है, जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
 अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।
 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के दो अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प सहित 02 सैट मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।
 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0, का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 5-होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 7-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 8-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।
 10-आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार प्राविधानित है।
 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना वाँछनीय है।
 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन:-प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन एन0बी0सी0 के अनुसार प्राविधान किया जाना वाँछनीय है।
 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।
 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।
 15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
 16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डकट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
 संयुक्त निवेशक, फायर सर्विस विभाग
 3090, सखमकुं, फर्रुखाबाद

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स प्रोसपर ब्यूल्डटेक प्रा0 लि0, द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-04बी0, सेक्टर-10, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।